

**आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर**

सुश्री सुचित्रा आर. कांबले, न्यायिक सदस्य तथा  
श्री भागीरथ मल बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष  
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 385/ इंदौर /2018

निर्धारण वर्ष : 2012-13

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, राजगढ़	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 2(1), उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएजे 4127 ई		

अपीलार्थी की ओर से	श्री वैभव जैन, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	कोई नहीं
सुनवाई तिथि	24.08.2022
उद्धघोषणा तिथि	30.08.2022

**आदेश**

सुश्री सुचित्रा आर. कांबले, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), उज्जैन के आदेश दिनांक 31.01.2018 के विरुद्ध निदेशित है जो कि सहायक आयकर आयुक्त-2(1), इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन अधीन विरचित आदेश दिनांक 09.03.2015 से उद्भूत है ।

2. निर्धारिती द्वारा इस अपील के संबंध में अधिकरण के समक्ष लिखित आवेदन दिनांक 30.06.2022 दाखिल किया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने "विवाद से विश्वास योजना, 2020" के अधीन आवेदन किया है तथा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारिती का आवेदन स्वीकार किया गया है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नहीं है । आवेदन के साथ विवाद से विश्वास योजना के फार्म सं. 4 और फार्म सं. 5 दाखिल

किए गए हैं। निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। राजस्व की ओर से इस संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है।

यह आदेश 30.08.2022 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-  
(भागीरथ मल बियाणी)  
लेखा सदस्य

हस्ता/-  
(सुचित्रा आर. कांबले)  
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 30.08.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि,  
गार्ड फाइल